बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

1/30

क्रमांक/स्वा./2022/1658-63 दिनांक 06/12/23

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचनाः– 03/2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 35HP एवं 35HP से अधिक HP के 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, http://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट http://www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा की कुल अनुमानित लागत राशि :– 1340.00 लाख रूपये

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर
दिनांक 06/12/23

क्रमांक/स्वा./2022/1658-63
प्रतिलिपिः–

1. निदेशक स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर,
2. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर,
3. जिला कलेक्टर बीकानेर,
4. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशनः–
   - एक मुख्य क्षेत्रीय दैनीक सामाचार पत्र में।
   - एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक सामाचार पत्र एवं अखिल स्तरीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई–मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com, पर भिजवाने का श्रम करें।
5. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
6. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

Scanned with CamScanner

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

(2)

क्रमांक / स्वा. / 2022 / 1658 दिनांक 06/2/23

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचनाः– 03 / 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 35HP एवं 35HP से अधिक HP के 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, http://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट http://www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा की कुल अनुमानित लागत राशि :– 1340.00 लाख रूपये

6/2/23

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

Scanned with CamScanner

बीकानेर नगर निगम (3)

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./2022/1664 दिनांक 06/2/23

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचनाः– 03/2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 35HP एवं 35HP से अधिक HP के 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, http://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट http://www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल अनुमानित लागत राशि :– 1340.00 लाख रूपये

1	निविदा कार्य	बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 35HP एवं 35HP से अधिक HP के 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।
2	निविदा की कुल अनुमानित लागत राशि	1340.00 लाख रूपये
03	कार्य की कुल समय अवधि	02 वर्ष
3	ऑनलाईन निविदा फोर्म मिलने की तिथि	दिनांक 07/02/2023 को 9.30 बजे से 02/03/2023 तक
04	ऑनलाईन निविदा फोर्म जमा कराने की तिथि	दिनांक 07/02/2023 को 9.30 बजे से 02/03/2023 तक
05	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 03/03/2023 को दोपहर 3 बजे के बाद
06	ऑनलाईन वितिय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड में सफल फर्मो की ही वितीय बिड खोली जायेगी जिसके लिये अलग से सुचना दी जायेगी

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक/स्वा./2022/1665-72 दिनांक 06/2/23

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
3. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
4. श्रीमान् उप महापौर, नगर निगम बीकानेर।
5. श्री उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
6. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, नगर निगम बीकानेर।
7. श्री कोषाधिकारी, बीकानेर।
8. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

Scanned with CamScanner

बीकानेर नगर निगम (५)

तकनिकी बिड निविदा प्रपत्र

1. ई–निविदा सूचना संख्या – 03 /2022–23
2. कार्य का नाम :–**बीकानेर नगरीय क्षेत्र में कचरा संग्रहण एवं परिवहन करने के लिए आवश्यकतानुसार 35HP या इससे अधिक HP के 60 ट्रेक्टर ट्रॉली (हाईड्रोलिक अच्छी कण्डीशन में हो तथा मेक 2018 या उसके बाद का ही होना चाहिए), 01 चालक, 03 श्रमिक, 03 ट्रिप औजार सहित आवश्यकतानुसार अनुबंध पर उपलब्ध करवाने का कार्य हेतु**
3. फर्म का नाम :–
4. निविदा शुल्क रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–
5. अमानत राशि रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–
6. डाउनलोड करने की अंतिम तिथि .... तक
7. अपलोड करने की अंतिम तिथि .... तक
8. तकनिकी बीड खोलने की दिनांक (http://eproc.rajasthan.gov.in) ....

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

क्र. सं.	दस्तावेज का विवरण	√ करें
1.	निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस, 1000 रूपये का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वे बसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	संलग्न है/नहीं है
2	निविदा बिड सिक्योरिटी राशि 26.80 लाख रूपयें (अनुमानित निविदा राशि के 2 प्रतिशत सामान) का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को तकनिकी निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा बिड सिक्योरिटी में छूट प्रदान नही की गयी है बिड सिक्योरिटी राशि अनुमानित निविदा राशि के 2 प्रतिशत सामान होगी।	संलग्न है/नहीं है
3.	35 HP या इससे अधिक क्षमता वालें HP के कम से कम 40 ट्रैक्टरों की आर.सी. (पंजीयन प्रमाण–पत्र) फर्म के नाम की अथवा फर्म के स्वामी नाम की अथवा जांईट वेन्चर फर्म की अपलोड करना अनिवार्य होगी	संलग्न है/नहीं है
4.	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
5.	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
6.	31 दिसम्बर 2022 तक आय कर एवं जीएसटी कर बकाया ना होनें का राशि 100 रूपयें का नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ–पत्र। (सलंग्न प्रारूप–6)	संलग्न है/नहीं है
7.	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु 1952 EPF रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।	संलग्न है/नहीं है
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (ईएसआई) रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।	संलग्न है/नहीं है
9.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 (The Contract Labour Regulation And Abolition Act. 1970) रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।	संलग्न है/नहीं है
10.	गत 03 वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21, 2021–22) में इस निविदा की अनुमानित राशि का **कुल 60 प्रतिशत** राशि के समान का एक कार्यालय से अथवा एक से अधिक कार्यालयों से कचरा संग्रहण या कचरा परिवहन कार्य का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/नगरीय निकाय में अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अनुभव प्रमाण–पत्र नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी, निगम में आयुक्त/उपायुक्त एवं अन्य विभाग में अधिशाषी अभियंता या उच्च ग्रेड के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। कार्य आदेश की प्रति मान्य नही है सिर्फ अनुभव प्रमाण–पत्र ही प्रस्तुत किया जाए। (निर्धारित राशि का अनुभव एक कार्यालय से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र से पूर्ति होती है तो एक अनुभव प्रमाण–पत्र स्वीकार्य है अन्यथा निर्धारित राशि की पूर्ति के लिए एक से अधिक कार्यालयों से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र भी स्वीकार्य है।)	संलग्न है/नहीं है

Scanned with CamScanner

11.	गत 03 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21, 2021–22) में फर्म का तीनों वर्षो को मिलाकर कुल टर्नओवर निविदा की अनुमानित राशि के बराबर होना चाहिए। टर्नओवर सीए द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	संलग्न है/नहीं है
12.	फर्म का किसी सरकारी कार्यालय में कोई राशि बकाया/वसूलनीय नही होनें का राशि 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (सलंग्न प्रारूप–1)	संलग्न है/नहीं है
13	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का राशि 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र। (संलग्न प्रारूप 2)	संलग्न है/नहीं है
14	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का राशि 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (संलग्न प्रारूप 3)	संलग्न है/नहीं है
15	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के ऐक्ट के सेंक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र राशि 100/– रू के स्टाम्प पर प्रतिलिपि। (संलग्न प्रारूप 4)	संलग्न है/नहीं है
16	संवेदक द्वारा अन्डर टेकिंग राशि 100/– रू के स्टाम्प पर देनी होगी। (संलग्न प्रारूप 5)	संलग्न है/नहीं है
17	ABCD Annexure हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें (सलंग्न प्रारूप)	संलग्न है/नहीं है
18	निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के लिये निविदा परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर निविदा परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।	संलग्न है/नहीं है

क्रम संख्या 1 से 18 की पूर्ति होने पर ही निविदा का द्वितीय भाग (वित्तीय बीड) खोली जायेगी। संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां स्केन करके अपलोड कर दी गई है। संलग्न शर्तो पर निर्धारित संख्या में ट्रेक्टर ट्रॉली आपूर्ति कार्य करने के लिए तथा निविदा भुल्क/अमानत रा ि ा के ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Scanned with CamScanner

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

(6)

वितिय निविदा दर प्रपत्र

1. ई–निविदा सूचना संख्या – 03 /2022–23

2. कार्य का नाम :– **बीकानेर नगरीय क्षेत्र में कचरा संग्रहण एवं परिवहन करने के लिए आवश्यकतानुसार 35HP या इससे अधिक HP के 60 ट्रेक्टर ट्रॉली (हाईड्रोलिक अच्छी कण्डीशन में हो तथा मेक 2018 या उसके बाद का ही होना चाहिए), 01 चालक, 03 श्रमिक, 3 ट्रिप औजार सहित आवश्यकतानुसार अनुबंध पर उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु**

3. फर्म का नाम :–

4. निविदा शुल्क रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–

5. अमानत राशि रसीद क्रमांक :– दिनांक :– रकम :–

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

दर प्रस्ताव

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में कचरा परिवहन करने के लिए आवश्यकतानुसार 35HP या इससे अधिक HP के 60 ट्रेक्टर ट्रॉली की आपूर्ति कार्य	प्रति ट्रेक्टर प्रतिदिन प्रति 01 ट्रीप कार्य हेतु दरे निविदा शर्तों के अनुसार समस्त करों व व्यय सहित रूपये .....शब्दों में ....

उक्त दी गई दर पर कार्य तकनीकी बिड में संलग्न शर्तो अनुसार कार्य करने तथा समस्त करों एवं ईपीएफ/ईएसआई भरने आदि के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Scanned with CamScanner

बीकानेर नगर निगम (7)

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

कार्य का नाम– **बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 35HP ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।**

1. **पात्रता की शर्ते तकनीकी बिड :– निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी योग्यता की जॉच निम्न बिन्दुओ के आधार पर की जायेगी उक्त बिन्दुओं अनुसार सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।**

क्रं.सं	दस्तावेज का विवरण
01	निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस, 1000 रूपये का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वे बसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02	निविदा बिड सिक्योरिटी राशि 26.80 लाख रूपयें (अनुमानित निविदा राशि के 2 प्रतिशत सामान) का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को तकनिकी निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा बिड सिक्योरिटी में छूट प्रदान नही की गयी है बिड सिक्योरिटी राशि अनुमानित निविदा राशि के 2 प्रतिशत सामान होगी।
03	35 HP या इससे अधिक क्षमता वालें HP के कम से कम 40 ट्रैक्टरों की आर.सी. (पंजीयन प्रमाण–पत्र) फर्म के नाम की अथवा फर्म के स्वामी नाम की अथवा जांईट वेन्चर फर्म की अपलोड करना अनिवार्य होगी।
04	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
05	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
06	31 दिसम्बर 2022 तक आय कर एवं जीएसटी कर बकाया ना होनें का राशि 100 रूपयें का नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ–पत्र। (सलंग्न प्रारूप–6)
07	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु 1952 EPF रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
08	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (ईएसआई) रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
09	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 (The Contract Labour Regulation And Abolition Act. 1970) रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
10	गत 03 वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21, 2021–22) में इस निविदा की अनुमानित राशि का **कुल 60 प्रतिशत** राशि के समान का एक कार्यालय से अथवा एक से अधिक कार्यालयों से कचरा संग्रहण या कचरा परिवहन कार्य का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/नगरीय निकाय में अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अनुभव प्रमाण–पत्र नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी, निगम में आयुक्त/उपायुक्त एवं अन्य विभाग में अधिशाषी अभियंता या उच्च ग्रेड के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। कार्य आदेश की प्रति मान्य नही है सिर्फ अनुभव प्रमाण–पत्र ही प्रस्तुत किया जाए। (निर्धारित राशि का अनुभव एक कार्यालय से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र से पूर्ति होती है तो एक अनुभव प्रमाण–पत्र स्वीकार्य है अन्यथा निर्धारित राशि की पूर्ति के लिए एक से अधिक कार्यालयों से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र भी स्वीकार्य है।)
11	गत 03 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21, 2021–22) में फर्म का तीनों वर्षो को मिलाकर कुल टर्नओवर निविदा की अनुमानित राशि के बराबर होना चाहिए। टर्नओवर सीए द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
12	फर्म का किसी सरकारी कार्यालय में कोई राशि बकाया/वसूलनीय नही होनें का राशि 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (सलंग्न प्रारूप–1)
13	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का राशि 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र। (संलग्न प्रारूप 2)
14	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का राशि 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (संलग्न प्रारूप 3)
15	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के ऐक्ट के सेक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र राशि 100/– रू के स्टाम्प पर प्रतिलिपि। (संलग्न प्रारूप 4)
16	संवेदक द्वारा अन्डर टेकिंग राशि 100/– रू के स्टाम्प पर देनी होगी। (संलग्न प्रारूप 5)
17	ABCD Annexure हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें (सलंग्न प्रारूप)
18	निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के लिये निविदा परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर निविदा परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 18 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज ई–निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने होगें। अपलोड किये गये दस्तावेजों के संबंध में निविदा समिति निविदादाता से स्पष्टिकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पष्टीकरण के लिये दी गई समयवधि में प्रस्तुत नही करने पर निविदादाता को तकनीकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुवे उसकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी तथा किसी निविदादाता की तकनिकी निविदा/दस्तावेज में कोई संदेह, विरोधाभास होनें पर या किसी शर्त, भाषा को परिभाषित करनें का सम्पूर्ण अधिकार उपापन समिति के पास है जिसके क्रम में किसी निविदादाता की तकनिकी योग्य या अयोग्य करनें का अन्तिम निर्णय उपापन समिति का होगा जो प्रत्येक निविदादाता के लिए मान्य एवं बाध्य होगा। समस्त नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प राजस्थान एवं पृथक–पृथक होने चाहिए साथ ही नोटेरी से प्रमाणित करवाकर अपलोड करनें होगें।

Scanned with CamScanner

2. निविदा की सामान्य शर्तें :–

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भरते समय/ऑनलाईन प्रस्तुत करतें समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. The law relating to procurement "The Rajasthan transparency in public procurment act 2012 and The Rajasthan transparency in public procurement rules 2013, GF&AR, PWF & AR which are available on state public procurement portal http://sppp.rajasthan.gov.in Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the act and the rule before participating in the bidding process, If there is any discrepancy between the provision of this act the rule and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail.
2. निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हे। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org. एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
3. निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 1000 रूपये एवं बिड सिक्योरिटी राशि 26.80 लाख रूपयें का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि सफल निविदादाता से अनुबंध करनें के पश्चात् लौटा दी जावेगी एवं सफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि निविदादाता की स्वीकृति देने पर प्रतिभूति राशि में समायोजित भी जा सकती है या निविदादाता द्वारा निवेदन करने पर निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी।
4. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार आमंत्रित की गई है जिसमें प्रथम भाग तकनीकी बिड का होगा जिसमें तकनीकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिये निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से संबंधित प्रतियां ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी। जिसमें दर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओ की वित्तीय बिड खोली जायेगी, जिसके लिये अलग से वित्तीय बिड खोलने की सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।
5. फर्म के एक से अधिक साझेदार/सदस्य होनें पर किसी एक सदस्य द्वारा निविदा एवं अनुबंध प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दी गयी पॉवर ऑफ एटॉर्नी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करनें के लिए अधिकार पत्र सभी साझेदार का हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए।
6. जॉईट वेन्चर फर्म मान्य होगी।
7. तकनिकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाएगा। जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
8. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेगें। नगर निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। दरे एफ एण्ड आर या सभी कर संहित होगी।
9. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापिस नहीं किये जायेगें। बिड सिक्योरिटी सफल निविदादाता को कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
10. निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति कार्य स्थल की सामान्य जानकारी आदि का निरीक्षण या जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है इससे संबंधित व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
11. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम शर्तो को ध्यान में रखते हुवे वित्तीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड मे प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि में फिक्स रहेगी।
12. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
13. निविदा एवं कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम बीकानेर में कार्यालय में समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
14. संवेदक द्वारा कार्य बन्द करनें या कार्य में बाधा पहुँचानें पर प्रति अवसर 2,00,000/– लाख रूपयें (दो लाख रूपयें) की शास्ति लगायी जाएगी एवं अनुबंध भी निरस्त किया जा सकता है।
15. निविदा की अवधि सामान्यतः 02 वर्ष की होगी। नवीन निविदा ना होने की स्थिति में अथवा अन्य किसी परिस्थिति में कार्य संतोषजनक होने पर ही निविदा अवधि सक्षम स्वीकृति उपरान्त समयावधि में 01 वर्ष तक बढायें जाने हेतु निगम स्वतंत्र है। जिसके लिए संवेदक बाध्य रहेगा।
16. संवेदक द्वारा कार्य संतोषजनक सम्पादित नही करनें पर अथवा अन्य परिस्थितियों होने पर किसी भी समय नगर निगम बीकानेर निविदा निरस्त कर सकता हैं जिस पर कोई वाद मान्य नही होगा तथा न ही संवेदक को निविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

Scanned with CamScanner

17. नगर निगम बीकानेर के द्वारा सफल निविदादाता के चयन उपरान्त सफल निविदादाता को अनुबंध निष्पादन करनें के लिए निम्न औपचारिकताएं 15 दिवस मे पूर्ण करनी होगी :–
    1. नियमानुसार अनुबंध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (राशि नियमानुसार) पर प्रस्तुत करना होगा। जिसका वहन आवेदक को करना होगा।
    2. निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत या ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि प्रतिभूति राशि में समायोजन होनें की स्थिति केवल निविदा राशि की 0.5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेडयूल बैंक की बैंक गारण्टी/शेडयूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Bikaner" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करनी होगी।
    3. राशि 50 लाख रूपयें की अतिरिक्त बैंक गारंटी आयुक्त नगर निगम के पक्ष में जमा करानी होगी। जिसे अनुबंध अवधि पूर्ण होने के 90 दिवस के पश्चात् यदि कोई वसूली नही बनने पर अथवा कार्य संतोषजनक रूप से किये जाने पर ही 90 दिवस की उक्त अवधि के पश्चात् 01 माह में लोटा दी जायेगी। जिससे के लिए कोई अतिक्ति ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
    4. आयुक्त नगर निगम, बीकानेर बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
    5. प्रतिभूति राशि जब्त करने कि स्थिति में एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
    6. प्रतिभूति राशि अनुबंध अवधि पूर्ण होने की दिनांक से 90 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
18. अनुबंध निष्पादन करनें की दिनांक से 15 दिवस के भीतर निविदादाता को शर्तो के अनुसार निर्धारित ट्रेक्टर मय ट्रोली, चालक श्रमिक उपलब्ध करवानें होगें।
19. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है। तो नगर निगम बीकानेर इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं बिड सिक्योरिटी राशि जब्त करते हुए आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2, L_3 आदि) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
20. निविदादाता द्वारा कार्य नही करने पर रिस्क एंड कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य करवाये जाने पर अंतर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुवे आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
21. निविदा संबंधित आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013, जी.एफ. एंड ऐ.आर तथा वित्तीय विभाग के सभी नियम, अधिनियम, आदेश, परिपत्र आदि संशोधन सहित लागू होगें। किसी शर्ते की पालना नही करने पर निविदा शर्तो का उल्लघंन माना जायेगा।
22. निविदा का सार कार्य की गुणवता एवं समय पर संतोषजनक निष्पादन करना होगा।
23. अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद आदि उत्पन्न होनें पर संवेदक को एक युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है। इस पर आयुक्त नगर निगम, बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
24. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।
25. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक को सभी निविदा प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
26. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशत समपहरण किया जा सकेगा।
    1. जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तो को भंग किया जाता है।
    2. जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
    3. जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नही करता है।
    4. प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
27. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि –
    1. निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार निर्धारित योग्यता नही रखता हो।
    2. निविदा के साथ धरोहर राशि/बिड सेक्युरिटी राशि जमा नहीं किया गया हो।
    3. जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
    4. क्रय समिति या आयुक्त बिना कारण बताये निविदा को निरस्त कर सकती है।
28. समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम बीकानेर उतरदायी नही होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई–प्रोक्योरमेंट/एस.पी.पी.पी. पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।
29. नगर निगम बीकानेर द्वारा नगरीय क्षेत्र से विशेष परिस्थितियों में ट्रैक्टर से सामान्य कचरें के अलावा कार्य करवानें पर जमादार/स्वच्छता निरीक्षक/संबंधित अनुभाग के प्रभारी जमादार से पर्ची प्राप्त कर कचरें की साईट का उल्लेख एवं प्रमाणित करके वाहन ड्राईवर को देगें, जो कि डम्पिंग यार्ड के कार्मिको द्वारा भी प्रमाणित की जायेगी।
30. निविदादाता से निविदा मांगे जाने पर तकनीकी स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार निगम अपनें पास सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner

31. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा। जॉईंट वेन्चर स्वीकार्य होगा।
32. सफल निविदादाता द्वारा 02 वर्ष अथवा बढाई गई की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एंव किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के 03 माह पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
33. निविदा खोलेने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाऐ नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
34. निविदा दाता द्वारा प्रदत दरो में सभी व्यय व कर सम्मिलित किये जावेंगे, प्रदत दरे वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 120 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता हैं। तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
35. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार क्रय समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर को रहेगा। उक्त निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
36. इस निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का एकाधिकार निगम में निहित है। जिसका कारण बताने को निगम बाध्य नहीं है।
37. अनुबंध निष्पादन करनें के उपरान्त अनुबंध को समाप्त/निरस्त करनें का एकाधिकार निगम में निहित है। जिसका कारण बताने को निगम बाध्य नहीं है।
38. निविदा में किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय नगर निगम बीकानेर का मान्य होगा। नियम एवं शर्तों में किये गये किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।
39. उक्त निविदा अनुबंध राज्य सरकार से विशेष निर्देश प्राप्त होने पर या आयुक्त नगर निगम बीकानेर बिना कोई कारण बताए अनुबंध की अवधि को पूर्व में भी समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
40. निविदा से संबंधित किसी प्रकार की स्पष्टिकरण या सूचना की जानकारी के लिये पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :– नगर निगम कार्यालय, कीर्ति स्थंभ के पास बीकानेर–334001,
ई–मेल nagarnigambikaner@gmail.com मोबाईल नं0 0151–2226906, 0151–2226902

3. **<u>वाहन व वाहन चालकों, हेल्पर के संबंध में निविदादाता को दिशा–निर्देश :–</u>**
   1. बीकानेर नगर निगम क्षेत्र से कचरा संग्रहण एवं परिवहन हेतु 35एचपी एवं इससे अधिक के 60 ट्रेक्टर मय ट्रॉली (हाइड्रोलिक अच्छी कण्डीशन में हो तथा मेक 2018 या उसके बाद का ही होना चाहिए) तथा प्रति ट्रैक्टर 01 वाहन चालक, 03 श्रमिक से 03 ट्रीप प्रतिदिन आपूर्ति के लिए कार्य आदेश जारी होनें से 02 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुबंध पर उपलब्ध करवानें होगें तथा आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर मय ट्रॉलियों की संख्या एवं ट्रीर्पो की संख्या में वृद्धि व कमी की जा सकेगी।
   2. ट्रैक्टर ट्रॉलियों के रजिस्ट्रेशन/बीमा/वाहन चालक लाईसेंस तथा ट्रेक्टर ट्रॉलियों का कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन संबंधित संवेदक द्वारा परिवहन विभाग से करवाया जाना अनिवार्य है एवं समस्त ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन संवेदक/फर्म के नाम से होना चाहिए तथा 20 ट्रैक्टर की रेजिस्ट्रशन से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
   3. फर्म द्वारा कम से कम प्रति ट्रैक्टर मय ट्रॉली 01 वाहन चालक एवं 03 श्रमिक पर उपस्थित होनें चाहिए।
   4. प्रत्येक ट्रेक्टर ट्रॉली से 03 ट्रीप कार्य करना अनिवार्य होगा।
   5. सफल निविदादाता को ट्रैक्टर–ट्रॉली आपूर्ति कार्य शुरू करने से पूर्व निर्धारित ट्रैक्टरो के रजिस्ट्रेशन पत्र, बीमा, वाहन चालक के लाईसेंस सहित भौत्तिक सत्यापन करवाना होगा। भौत्तिक सत्यापन संबधित स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशाषी अभियंता (गैराज) एवं उपायुक्त या आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार किया जावेगा।
   6. सफल निविदादाता को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर निगम कार्यालय से प्रति ट्रैक्टर अलग–अलग लॉग बुक क्रय करनी होगी, प्रतिदिन किये गये कार्य का संबधित लॉग बुक में अंकन एवं प्रमाणिकरण करवाना होगा।
   7. कार्य में आवश्यकता के अनुसार श्रमिको को संसाधन संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
   8. वाहन चालक अनुभवी/प्रशिक्षित एवं संबंधित श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चाहिए। सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, पी.यू.सी., रोड़ टैक्स, वाहन चालक का लाईसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को चालक एवं श्रमिको का उपयुक्त बीमा/इंश्योरेंस कराना होगा ताकि श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। इस संबंध में सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ट्रैक्टर–ट्रॉली का बीमा, रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
   9. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. या अन्य कोई राशि नगर निगम की और से देय नहीं होगा।
   10. संवेदक द्वारा वाहन चालकों/श्रमिको को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों एवं श्रमिकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम बीकानेर उत्तरदायी नही होगा।

Scanned with CamScanner

11. प्रत्येक वाहन चालक एवं श्रमिक (हेल्पर) जैकेट धारण करेगा जिस पर फर्म का नाम लिखा होगा। इसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
12. वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
13. ट्रेक्टर ट्रोली मय चालक एवं श्रमिक पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे डीजल, पेट्रोल, टूट–फूट मरम्मत चालक व मजदूरों के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चो की जिम्मेवारी निविदादाता को वहन करनी होगी।
14. संवेदक द्वारा सभी ट्रोलीया निगम द्वारा निर्धारित रंग की उपलब्ध करवाई जायेगी। जिन पर फर्म का नाम एवं "नगर निगम से अनुबंधित एवं वार्ड संख्या" आदि लिखना होगा साथ ही सम्पर्क या शिकायत निवारण नम्बर का उल्लेख किया जायेगा।
15. कार्य की मॉनिटरिंग हेतु फर्म द्वारा 02 सुपरवाईजर लगाने होगें। जो स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक आदि के अधीन एवं निर्देशानुसार कार्य करेगें।
16. **मशीन/ट्रैक्टर–ट्रॉली/वाहन चालकों एवं हेल्पर का विवरण :–**
    (क) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वास्थ्य शाखा को प्रस्तुत करनी होगी।

क्र0 सं0	वाहन चालक का नाम व पता, मोबाईल नं0	वाहन चलाने का ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर	लाईसेंस की वैधता दिनांक
01			
02			

क्र0 सं0	हेल्पर का नाम व पता, मोबाईल नं0	आधार कार्ड का नम्बर
01		
02		

17. वाहनों की उपलब्धता संबंधित विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।
    (ब) उपलब्ध वाहनों का विवरण :–

क्र0 सं0	ट्रैक्टर–ट्रॉली मेक	हॉर्स पावर	पंजीकृत वाहन का रजिस्ट्रेशन नं	वाहन मॉडल वर्ष	वाहन मालिका का नाम
01					
02					

4. <u>तकनीकी विवरण :–</u>

1. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले ट्रैक्टर वर्ष 2018 या 2018 के बाद के मॉडल होना चाहिए।
2. ट्रैक्टर का इंजन पावर न्यूनतम 35 एच.पी. या 35 एच.पी. से अधिक होना आवश्यक है।
3. उक्त समस्त वाहन तकनीकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए। जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
4. ट्रॉली की क्षमता (Volumetric Capacity) न्यूनतम 100 Cubic Feet होना आवश्यक है।
5. वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, टायर टयूब, बैटरिया, डीजल, ऑयल, ल्युबिकेन्टस, पार्टस मरम्मत चालक एवं वाहनों पर अन्य समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होगें।
6. यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
7. उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनीकी स्तर पर आधारभूत शर्तो से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनीकी रूप से आधारभूत शर्तो के अनुसार ही माना जायेगा।
8. संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के खर्च पर उच्च गुणवता का जीपीएस सिस्टम को ट्रेकिंग/जानकारी हेतु निगम परिसर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लगवाना अनिवार्य होगा तथा प्रतिमाह के बिल के साथ प्रति ट्रैक्टर मय ट्रॉली की ट्रैकिंग चार्ट की सॉफ्ट कॉपी पैन ड्राईव में प्रस्तुत करनी होगी जिसका व्यय की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
9. निविदादाता को अपने स्वयं के खर्चे पर प्रत्येक ट्रेक्टर पर उच्च गुणवता का जीपीएस सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य होगा, लगाये गये जीपीएस सिस्टम मोबाईल ऐप भी होना चाहिए।

5. <u>दुर्घटना :–</u>

1. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवायें गयें ट्रैक्टर की मौके पर कार्य करते हुए या अन्य स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा। निविदा दाता पर श्रम कानून के सभी नियम लागू होगे।
2. कार्य करते समय ट्रेक्टर मय ट्रोली, चालक एंव श्रमिकों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगी। समस्त उत्तरदायित्व का भरण संवेदक का ही होगा।

Scanned with CamScanner

3. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगों के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा योग्य देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
4. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट–फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
5. दुर्घटना में वाहन के क्षतिपूर्ति होनें, चोरी होनें व किसी भी तरह टूट–फूट होनें पर संवेदक अविलम्ब दूसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।
6. उक्त कार्य में लगे सभी श्रमिकों के बीमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
7. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होनें पर तथा श्रमिक की मृत्यु होनें पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

6. **वाहन चालकों एवं हेल्पर के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दु :–**
   1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक को होगा।
   2. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वाहन चालकों को मजदूर के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
   3. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त वाहन चालकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
   4. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
   5. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवना आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।
   6. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये नगर निगम बीकानेर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

7. **निविदा की अन्य शर्तें**:– सफल निविदादाता को कार्य के दौरान निम्न शर्तो की पालना करनी होगी।
   1. नगर निगम द्वारा बीकानेर के 80 वार्डो हेतु 35 एचपी एवं इससे अधिक एचपी के 60 ट्रैक्टर–ट्रॉली के अनुसार 03 श्रमिक, 03 ट्रीप दोनो मे से जो पहले के, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि की आवश्यकता रहेगी। जिसे बाद में आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है।
   2. अगले महीनें की लॉगबुक 25 से 30/31 तारीख जारी करवानी होगी।
   3. कचरा परिवहन के दौरान वाहन की डाले को बंद रखना होगा।
   4. निगम द्वारा फर्म को अतिरिक्त कार्य के लिए आदेशित करने पर कार्य करने के लिए मना नहीं किया जावेगा।
   5. संवेदक द्वारा सशर्त प्रस्तुत की गयी निविदा मान्य/स्वीकार्य नही होगी।
   6. निविदा दाता द्वारा हाइड्रोलिक ट्रेक्टर ट्रोली द्वारा नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उठाया गया कचरा निर्धारित कचरा संग्रहण केन्द्र पर डालना अनिवार्य होगा। नगर निगम अधिकारीगण के लिखित/मौखिक आदेशानुसार कचरा निर्धारित कचरा संग्रहण केन्द्र के अतिरिक्त अन्य स्थान पर डाला जा सकता है। बिना अधिकारीगण के निर्देशानुसार यदि निर्धारित कचरा संग्रहण केन्द्र के अतिरिक्त अन्यत्र शहर के किसी भी स्थान पर कचरा डालने या डालते हुए पायें जाने पर किसी व्यक्ति एवं माध्यम के द्वारा प्रमाणित कर दिये जाने पर जुर्माना लगाया जायेगा। इस जुर्माने की राशी की कटौती सवेदक के बिलो में से काट ली जावेगी।
   7. बिना निर्देशित किये 03 ट्रिप से कम ट्रिप किए जानें पर संवदेक को उन ट्रिपों का भुगतान नही किया जायेगा।
8. निविदा दाता द्वारा कार्य कार्यालय द्वारा निर्धारित समय में करना होगा। समय में परिवर्तन आपसी बातचीत से आयुक्त के निर्देश से किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर दिन–रात में 24 घंटे निगम कभी भी कार्य हेतु बुलाने पर निविदा दाता को कर्मचारियों एवं ट्रेक्टर ट्रोली मय वाहन चालक उपलब्ध करवायी जाकर व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। बाढ आपदा प्राकृतिक घटना घटित होने पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन व भ्रमण पर एवं अतिआवश्यक परिस्थितियों पर इन शर्तो के आधार पर 24 घण्टे कार्य करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरन करने के प चात् स्वीकृत दर पर भुगतान देय होगा।
9. ठोस कचरा प्रबंधन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसबीएम के अन्तर्गत घर–घर कचरा संग्रहण एवं कार्य के लिए निर्धारित कार्य क्षेत्र कचरें की श्रेणियाँ/प्रकार के अतिरिक्त/अन्य कचरा संग्रहण/उठाया जाएगा जिसके संबंध

Scanned with CamScanner

में आयुक्त/ उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी, स्वास्थ्य अनुभाग नगर निगम बीकानेर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

10. इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश को बीकानेर नगरीय क्षेत्र में कचरा संग्रहण एवं परिवहन करनें के तहत अतिरिक्त/अन्यत्र उपयोग लेनें पर फर्म की अमानत राशि जब्त कर डिबार/ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। (जैसे निर्धारित सख्या से अधिक ट्रैक्टर क्रय करनें एवं ट्रैक्टर क्रय करनें के उपरान्त कार्य प्रारंभ नही करनें, ट्रैक्टर को वापस बेचनें आदि का कार्य नही किया जायेगा)
11. बोली दस्तावेज में किसी शर्तो, प्रावधान, शास्ति आदि का आपस में विरोधाभ्यास होनें पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
12. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी का नही सौपेगा या उप उप–भाड़े (सबलेटें) पर नही देगा।
13. निविदादाता यसा उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता हागी।
14. फर्म की तकनिकी योग्यता के निर्धारण में कोई संदेह, विरोधाभास/आपति आदि होनें पर क्रय समिति/आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा जो समस्त निविदादाता के लिए मान्य एवं बाध्य होगा।
15. निविदादाता द्वारा आयुक्त महोदय के, उपायुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी के लिखित एवं मौखिक निर्देशानुसार ही अन्य स्थान पर कचरा डालेगा।
16. नगर निगम बीकानेर द्वारा नगरीय क्षेत्र से विशेष परिस्थितियों में ट्रैक्टर से सामान्य कचरें के अलावा कार्य करवानें पर जमादार/स्वच्छता निरीक्षक/संबंधित अनुभाग के प्रभारी जमादार से पर्ची प्राप्त कर कचरें की साईट का उल्लेख एवं प्रमाणित करके वाहन ड्राईवर को देगें, जो कि डम्पिंग यार्ड के कार्मिको द्वारा भी प्रमाणित की जायेगी।
17. सभी श्रमिकों को मास्क, गलब्स उपलब्ध करवानें होगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
18. यदि सफल निविदादाता ट्रेक्टर ट्रोली मय चालक एवं श्रमिक सहित वाहन उपलब्ध करानें में असफल होता है तो निगम अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगी एवं की गई व्यवस्था पर अधिक भुगतान की गई राशि रिस्क एण्ड कॉस्ट द्वारा निविदा दाता के बकाया बिलों एवं सफल निविदा दाता की अन्य सम्पति से वसूल की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त निविदा दाता की धरोहर राशि भी जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
19. विशेष परिस्थितियों में अतिक्रमण हटवायें जाने तथा अन्य कार्य के दौरान लगाये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्रोलियों की पर्ची संबंधित स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी से ली जानी अनिवार्य होगी।
20. सफल निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो/आदेशो एवं ठोस कचरा प्रबंधन के नियमो का पालन करना होगां। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी कर संवेदक को चुकाने होंगे।
21. कार्य का निरीक्षण किसी भी समय निगम के महापौर/आयुक्त/उपायुक्त/लेखाधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।
22. नगर निगम द्वारा अन्य किसी भी कार्य हेतु ट्रेक्टर मय ट्रॉली की आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। जिसका भुगतान तत्कालीन बाजार दर अनुसार कमेटी जिसमें आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा निर्धारण अनुसार किया जायेगा।
23. वार्ड/सर्किल में कार्य के दौरान किसी भी निजी एवं सरकारी सम्पति को ट्रैक्टर मय ट्रॉली के कारण हुयी क्षति को स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा।
24. निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति नही किये जाने पर प्रति ट्रैक्टर प्रतिदिन के हिसाब से पेनेल्टी लगायी जावेगी, जिसकी वसूली संवेदक के प्रस्तुत बिल से की जायेगी। निगम द्वारा प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर कार्य निर्धारित होगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में, त्यौहार, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य किसी आवश्यकता की स्थिति में यदि निगम द्वारा प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर अधिक कार्य करने हेतु आदेशित किये जाने पर आदेशानुसार कार्य करना होगा। जिसका अतिरिक्त भुगतान आनुपातिक दर पर देय होगा। निर्धारित/आदेशानुसार मात्रा में ट्रेक्टर ट्रॉली उपलब्ध नहीं करवायें जाते है तो संवेदक के विरूद्व शास्ति आरोपित की जावेगी, जिसके लिए फर्म को नोटिस देने की आवश्यकता नही होगी। उक्त शास्ति फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों में कटौति की जावेगी एवं अंतिम एक मान्य होगी।
25. निविदादाता के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ट्रैक्टरो से शहरी क्षेत्र से उठाये गये कचरे को तिरपाल से ढक्कर कर मार्गो से परिवहन करना होगा, साथ ही कचरा संग्रहण केन्द्र पर स्थापित कचरा संग्रहण केन्द्र के आगे आकर तिरपाल हटाना होगा।
26. आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी वाहन को कार्य हेतु बुलाया जायेगा। जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकता। त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।
27. संवेदक द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
28. ट्रैक्टर–ट्रॉली की पार्किंग नगर निगम के भण्डार ग्रह या नगर निगम की अन्य भूमि पर की जाती है तो 1000/–रू. प्रतिमाह प्रति ट्रैक्टर–ट्रॉली के अनुसार प्रत्येक माह के बिल में से कटौती की जावेगी। किसी कारणवश नगर निगम वाहनों की पार्किंग नही करवाना चाहता है तो फर्म को 15 दिवस पूर्व सूचना दी जायेगी। 15 दिवस बाद फर्म को अपने स्तर पर ही पार्किंग स्थल की व्यवस्था करनी होगी। नगर निगम की भूमि या स्थान के अलावा अन्य स्वामित्व की जगह पर वाहनों की पार्किंग करनें पर पार्किंग शुल्क नगर निगम द्वारा नही लिया जावेगा।

Scanned with CamScanner

8. **निविदा प्रपत्र में संशोधन :–**
   1. नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp. rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
   2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा एवं राज्य सरकार व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई आदेश/निर्देश भी इस निविदा का भाग माना जावेगा।

9. **कार्य विधि,कार्य क्षेत्र की सीमा :–**
   1. सामान्यतया वाहनों से सफाई कार्य का संचालन हेतु 35 एचपी एवं इससे अधिक के 60 ट्रैक्टर मय ट्रॉली 03 ट्रीप, 03 श्रमिक का कार्य नगर निगम बीकानेर क्षेत्र के वार्ड नं0 01 से 80 में निर्धारित कही भी कार्य लिया जा सकेगा। उक्त कार्य की समयावधि बीकानेर शहर की यातायात व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आपातकालीन/अन्य परिस्थितियों में वाहन किसी भी समय नगर निगम बीकानेर क्षेत्र में किसी भी सर्किल में सर्किल के स्वच्छता निरीक्षक को उपलब्ध करवाने होगें। इस स्थिति में आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार उपयोग में लेने वाले अधिकारी से लॉगबुक प्रमाणित करवानी होगी। अतिक्रमण अभियान/आपातकालीन स्थिति में/मानसुन के दौरान आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर मय चालक व ट्रैक्टर मय ट्रॉली, ड्राईवर उपलब्ध करवाने होगें जिनका भुगतान इन वाहनों के उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा लॉगबुक में प्रमाणीकरण के आधार पर किया जायेगा।
   2. कचरे का संग्रहण एवं परिवहन कर नगर निगम के निर्धारित डम्पिंग यार्ड पर डाला जायेगा। जिसकी दूरी बीकानेर शहर के केन्द्र बिन्दु (कोटगेट, बीकानेर को मानते हुवे) 07 से 08 किलोमीटर है।
   3. आवश्यकता होने पर आयुक्त/उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार (लिखित या मौखिक) एक दिन में निर्धारित ट्रीप से अधिक ट्रीप भी करवाई जा सकती है आवश्यकता होने पर रात्रिकालीन/अवकाश के दिन भी कार्य करवाया जा सकता है।
   4. संवेदक द्वारा 365 दिवस ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा कचरा संग्रहण एवं परिवहन का कार्य करवाना अनिवार्य होगा।
   5. A- संवेदक द्वारा नगर निगम के 80 वार्डो में निम्न प्रकार के कचरे को संग्रहित कर निर्धारित डम्पिंग यार्ड पर पहुँचाना होगा।
      1. सफाई कर्मचारीयों द्वारा रोड़ पर बनाई गई सभी छोटी–छोटी कचरे की ढेरिया।
      2. सफाई कर्मचारीयों द्वारा बनाई गई मिट्टी, सिल्ट की ढेरिया।
      3. छोटी नालियों से निकाली गई सिल्ट।
      4. कचरा संग्रहण केन्द्र जहां मिट्टी, सेंड–सिल्ट, गोबर की मात्रा अधिक है।
      5. मैन रोड़ एवं हाईवे पर सफाई कर्मचारीयों द्वारा बनाई गई मिट्टी की ढेरिया।
      6. बड़े डस्टबिन जिनमें गोबर, सिल्ट भरा हुआ है।
      7. आवश्यकता पड़ने पर बिल्डिंग की टुट–फुट का कचरा लेकिन अलग से निर्देश मिलने पर।
      8. अतिक्रमण तोड़ने के समय निकलने वाला कचरा लेकिन अलग से निर्देश मिलने पर।
      9. बड़े नालों से निकलने वाली सिल्ट लेकिन अलग से निर्देश मिलने पर।

      B- ट्रैक्टर मय ट्रॉली के माध्यम से निम्न प्रका का कचरा नही उठाया जायेगा।
      1. घरों से निकलने वाला गीला एवं सूखा कचरा।
      2. कचरा संग्रहण केन्द्र बड़े जहां घरों से निकलनें वालें सूखे एवं गीले कचरें की मात्रा अधिक है।
      3. कचरें संग्रहण केन्द्र छोटे जहां घरों से निकलनें वालें सूखें एवं गीले कचरें की मात्रा अधिक है।

   नोट :– आयुक्त नगर निगम बीकानेर उक्त कार्य क्षेत्र (Scope of Work) में कभी भी परिवर्तन, संशोधन, हटाना, जोड़ना आदि कर सकता है जो सवेदंक के लिए मान्य एवं बाध्य होगा।

10. **<u>भुगतान प्रक्रिया :–</u>**
    1. प्रतिदिन ट्रैक्टर द्वारा की जानें वाली ट्रिपस् की पर्चीयों का वितरण संबंधित वार्ड के जमादार द्वारा अपनें हस्ताक्षर मय नाम से करेगें। उक्त पर्ची में जमादार अपनें वार्ड में दैनिक उठनें वाले कचरें की साईट/स्थान का पर्ची में उल्लेख करेगा, उसके पश्चात् कचरें उठनें के बाद डम्पिंग यार्ड पर कार्यरत कार्मिक ट्रिप की पर्ची को प्रमाणित करेगें। उक्तानुसार कुल पर्चीयों अनुसार मासिक भुगतान किया जायेगा।
    2. स्वास्थ्य अधिकारी निविदा में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समस्त रिपोर्ट, प्रमाण–पत्र को प्राप्त कर एवं जमादार से जारी पर्चीयों एवं डम्पिंग यार्ड पर जारी पर्चीयों का मिलान लॉग बुक से करकें अनुबंध में निर्धारित शर्तो एवं प्रावधान के अनुसार शास्तिया काट कर संबंधित से बिल को प्रमाणित करवाकर लेखा शाखा में बिल को भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा।
    3. प्रत्येक माह का बिल सर्किल के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा लॉग बुक को हस्ताक्षर, नाम मय सील सहित प्रमाणीकरण एवं डम्पिंग यार्ड पर दी जाने वाली ट्रीप की मासिक रिपोर्ट के साथ स्वास्थ्य अधिकारी को आगामी 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
    4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा माह में कुल होनें वाली ट्रिपस् जमादार एवं डम्पिंग यार्ड में कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रमाणित पर्चीयों का मिलान कभी भी औचक निरीक्षण कर वाहन में लगे जीपीएस से करवाया जा सकता है। पर्चीयों का जीपीएस से मिलान की रिपोर्ट यंत्रालय अभियंता द्वारा देने पर ही भुगतान किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

5. यंत्रालय प्रभारी द्वारा बिल में उल्लेखित ट्रिपों का जीपीएस रिपोर्ट से मिलान का सत्यापन/प्रमाणिकरण करने के पश्चात् बिल को स्वास्थ्य शाखा में प्रस्तुत करेगा।
6. संवेदक द्वारा प्रतिमाह किये गये कार्यो का मासिक बिल आगामी माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगें। बिल विलम्ब से प्रस्तुत करने पर संवेदक को विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण अंकित करना होगा। उपायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक से प्रस्तुत प्रमाणित करवाना होगा। बिल स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा जांच/प्रमाणीकरण की समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, भुगतान नगर निगम अपनी सुविधा अनुसार करेगा।
7. बिल के भुगतान हेतु कार्य/ट्रिपस् की संख्या, जीपीएस, लॉगबुक का प्रमाणन संबंधित सर्किल के स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी/यंत्रालय प्रभारी एवं उपायुक्त द्वारा किये जानें के पश्चात् पत्रावली लेखा शाखा में प्रस्तुत की जायेगी तथा उक्त प्रमाणन के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कर्मचारीयो की भविष्यनिधि एवं कर्मचारी राज्यबीमा अंशदान (अगर लागू हो) कि राशि से संबंधित विभाग में जमा करवाने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
9. लेखा शाखा द्वारा प्राप्त प्रमाणित बिल को लेखा जाँच की जाकर आवश्यक कटौतिया (आयकर आदि) करके बिल को पारित/भुगतान करनें के लिए उपायुक्त/आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।
10. यदि भुगतान में किसी कारण से देरी होती है तो संवेदक श्रमिकों का भुगतान यथा समय किये जाने हेतु पांबद/बाध्य रहेगा।

11. शास्ति के प्रावधान :–

क्र.सं.	शास्ति का विवरण	शास्ति राशि
01	कार्यादेश में वर्णित समयावधि में ट्रैक्टर–ट्रॉली की अनुमानित मात्रा में आपूर्ति नही करनें एवं कार्य शुरू नही करने पर	6000/– रू प्रतिदिन प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली
02	अतिरिक्त कार्य के लिये आदेशित करने पर कार्य नहीं किये जाने पर	3000/– रू प्रति ट्रैक्टर
03	ट्रैक्टर ट्रॉली पर जीपीएस सिस्टम नही लगा होने पर	3000/– रू. प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन
04	ट्रैक्टर पर लगे जीपीएस कार्यशील अवस्था में ना होनें पर (48 घंटे में भी जीपीएस को दुरूस्त ना करनें पर शास्ति 6000/–रूपयें प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन से लगायी जायेगी)	3000/– रू. प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन
05	नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर कचरा नहीं डालने पर	1000/– रू. प्रति ट्रीप
06	प्रत्येक ट्रैक्टर ट्रॉली 03 ट्रीप से कार्य करना अनिवार्य है बिना लिखित आदेश के किसी परिस्थति में उक्त ट्रिप से कम कार्य करने पर प्रति ट्रिप शास्ति	2000/– रू. प्रति ट्रीप
07	ट्रैक्टर ट्रॉली पर श्रमिक कम मिलने पर	500/–रू. प्रति श्रमिक प्रतिदिन
08	ट्रैक्टर ट्रॉली को तिरपाल से ढककर नहीं ले जाने पर	1000/–रू. प्रति ट्रीप
09	परिवहन के समय कचरा ट्रैक्टर ट्रॉली से रोड़ पर फैलने पर/डाला खुला होने पर	500/–रू. प्रति घटना
10	ट्रैक्टर ट्रॉली पर नगर निगम से अनुबंधित लिखा नही होने पर	500/–रू. प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन
11	वाहन चालक/श्रमिकों द्वारा निगम द्वारा निर्धारित जैकेट नही पहननें पर	200/–रू. प्रति श्रमिक/वाहन चालक
12	ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा पूरे दिन कार्य नही करनें पर एक दिन की शास्ति प्रति ट्रैक्टर	6,000/–रू. प्रति ट्रैक्टर
13	एक दिन शहर में फर्म द्वारा समस्त ट्रैक्टर उपलब्ध नही करवानें पर	2,00,000/– रूपयें प्रति दिन
14	फर्म द्वारा कार्य बन्द करनें या कार्य में बाधा पहुँचानें पर प्रति अवसर शास्ति	2,00,000/– रूपयें प्रति दिन

Scanned with CamScanner

12. **निविदा का द्वितीय भाग वितीय बिड :–** तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओ की वित्तीय बिड खोली जायेगी. निविदादाता निम्न प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्ताव देना होगा एवं दरे सभी करो सहित एवं अन्य खर्चो, व्यय सहित भरनी होगी। सम्पूर्ण अनुबंध अवधि में दरे अपरिवर्तन रहेगी। (16)

दर प्रस्ताव प्रपत्रः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रति ट्रिप दर(सभी करो सहित)
1	बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 35 एचपी या इससे अधिक एचपी के 60 ट्रैक्टर मय ट्रॉली, 01 वाहन चालक, 03 श्रमिक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 ट्रीप, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा सग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।	

नोट :– यदि किसी एक से अधिक निविदादाता द्वारा दरें समान प्रस्तुत किये जाने पर उपापन संस्था को गुणा व गुण के आधार पर सफल निविदादाता का चयन करने का पूर्ण अधिकार है तथा उपापन संस्था द्वारा चयनित सफल निविदादाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी	यंत्रालय प्रभारी	एसीबीएम प्रभारी	मुख्य लेखाधिकारी	आयुक्त
बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम	बीकानेर नगर निगम

- **निविदा प्रपत्र पढ़ एवं समझ लिया है इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर सील लगाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा मैं अपनी दर ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत कर रहा हूँ।**

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का पत्राचार हेतु पता, ई–मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर अंकित करें.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

(प्र) 17

प्रारूप 1

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।

मैं..... एवं मेरी फर्म..... शपथ पूर्वक यह घोषणा करते है कि निविदा अपलोड करने की दिनांक.....तक हमारी फर्म के विरूद्ध किसी सरकारी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्था/विभाग/निगम निकाय में कोई भी राशि बकाया एवं वसूलनीय नही है अर्थात फर्म पर किसी भी प्रकार का लेनदारिया बकाया एवं वसूलनीय नही है। यदि यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

Scanned with CamScanner

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।

मैं..... एवं मेरी फर्म का नाम ..... शपथ पूर्वक यह घोषणा करते है कि पिछले 05 साल में फर्म को किसी भी सरकारी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्था/विभाग/निगम निकाय में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। यदि यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

Scanned with CamScanner

(20)
(19)

प्रारूप 3

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।

मैं..... एवं मेरी फर्म..... यह घोषणा करते है कि नगर निगम बीकानेर में कोई भी कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद/महापौर/अन्य में से नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

Scanned with CamScanner

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

Declaration by the Bidde in Compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder

In relation to our bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation bikaner for Procurement of Tender to provide Tractor trolly with driver,helper, POL and operation & mainteance for sanitation work and other work of municipal corporation for One years in response to their notice Inviting Bids No ..... Dated ..... We hereb Declare under section 7 & 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the bidding document issued by the procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the central government or the state government or any local authority, as specified in the bidding document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to our qualifiactions to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant of debarment proceeding;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in public procurement Act, the Rajasthan Transparency in public procurement Rules and this Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the code of integrity as specified in the Rajasthan Transparency in public Procurement Act, the Rajasthan Transpanernсy in public procurement rules and this bidding document, till Completion of all our obligation under the contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

Scanned with CamScanner

प्रारूप 5

कार्यालय नगर निगम बीकानेर

—: अण्डर टेकिंग :—

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियों सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा कार्य प्रतिभूति राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमारे कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 120 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र में अगर नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इन वाहनों से संबंधित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किया जायेगें।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि स्वयं के नाम ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली के अतिरिक्त और कार्य की आवश्यकतानुसार फर्म के नाम से ही अनुबंधित करवाकर वाहन की मांग होने पर व्यक्ति/फर्म से लेकर ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध करा देगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि कार्य प्रतिभूति राशि का कार्य संतोष जनक समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश की निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देतें है।

महामारी में बजट में फर्म रिस्क एंड कॉस्ट निविदा होने पर मेरे द्वारा भुगतान किया जायेगा या नगर निगम स्वतंत्र है।

दिनांक .....

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

Scanned with CamScanner

प्रारूप 6

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में 60 ट्रैक्टर ट्रॉली मय वाहन चालक एवं प्रति ट्रैक्टर 03 श्रमिक, संचालन एवं रख–रखाव, पीओएल आदि के सहित निविदा शर्तो अनुसार 80 वार्डो में मार्ग पर सफाई के दौरान बनाई गई ढेरिया, नालियो से निकली सिल्ट, कचरा संग्रहण केन्द्र इत्यादि, बिल्डिंग की टूट–फूट का मलबा, अतिक्रमण एवं आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न कचरे का परिवहन कर निर्धारित डम्प साईट पर पहुँचाने का कार्य।

मैं..... एवं मेरी फर्म..... शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय–समय पर आयकर, जीएसटी एवं अन्य कर को जमा या बराया जाता है। मेरी/हमारी/फर्म के विरूद्ध दिनांक 31.12.2022 तक किसी भी प्रकार का आयकर एवं जीएसटी कर बकाया नही है तथा इस संबंध में कोई वाद/प्रकरण बकाया नही है। यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

Scanned with CamScanner

परिपत्र 1

ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से कचरा परिवहन कार्य की मासिक रिपोर्ट

फर्म का नाम ..... माह.....

ट्रैक्टर ट्रॉली का रजिस्टेशन नं0 .....

क्र. सं.	दिनांक	निर्धारित ट्रीप	किये गये ट्रीप	प्रति ट्रीप राशि	कुल राशि	शास्ति का प्रकार	शास्ति राशि	विवरण यदि हो तो–

फर्म के प्रतिनिधि व्यक्ति का नाम
हस्ताक्षर

स्वच्छता निरीक्षक का नाम
हस्ताक्षर

स्वास्थ्य अधिकारी
मय हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Scanned with CamScanner

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Scanned with CamScanner

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

Scanned with CamScanner

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc!

Scanned with CamScanner

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .....of .....
Before the ..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   .....
   .....
   ..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
   .....
   .....
   .....

Place .....
Date .....
Appellant's Signature

Doc1

Scanned with CamScanner

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Scanned with CamScanner

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Scanned with CamScanner